"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 169] रायपुर, शनिवार, दिनांक 7 जुलाई 2012—आषाढ़ 16, शक 1934

कृषि (मछली पालन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-1/2012/36.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग विकास चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं. यह अधिसूचना दिनांक 17 जनवरी, 2012 से दो वर्ष की कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगी, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

सरल क्रमांक-2 के कॉलम (4) में, शब्द "चतुर्थ श्रेणी" के पश्चात् शब्द "जिला स्तरीय" जोड़ा जाय.

Raipur, the 7th July 2012

NOTIFICATION

No. F-4-1/2012/36.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Fisheries Development Department Class-IV Services Recruitment Rules, 2009. This Notification shall come into force from the date of 17th January, 2012, for a period of two years, namely :—

AMENDMENT

In Schedule I of the said rules,—

In column (4) of serial number 2, after the words "Class-IV" the words "District Level" shall be added.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2[illegible] 2.